

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1300]
No. 1300]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2005/अग्राहायण 22, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2005/AGRAHAYANA 22, 1927

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2005

साधारण शेयर बचत स्कीम, 2005

का.आ. 1755(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप धारा (2) के खंड (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण शेयर बचत स्कीम 2005, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण शेयर बचत (संशोधन) स्कीम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. साधारण शेयर बचत स्कीम, 2005 में —

(i) पैरा 2 में खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(छ) "वर्ष" से योजना में, यथास्थिति, आर्बटन या यूनिट धारण की तारीख से आरंभ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(ii) पैरा 8 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"9. अवाध प्रवेश साधारण शेयर बचत योजना—यूनिट ट्रस्ट या पारस्परिक निधि अपने विवेकानुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एक अवाध प्रवेश साधारण शेयर बचत योजना का प्रचालन कर सकेंगे।"

[अधिसूचना सं. 259/2005/फा. सं. 142/39/2005, टीपीएल]

प्रज्ञा एस. सक्सेना, निदेशक

टिप्पण :—मूल स्कीम का.आ. 1563(अ), तारीख 3 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

3579 GI/2005

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2005

EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME, 2005

S.O. 1755(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiii) of Sub-section (2) of Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Equity Linked Savings Scheme, 2005, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Equity Linked Savings (Amendment) Scheme, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Equity Linked Savings Schemes, 2005,—

(i) In paragraph 2, for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) "year" means a year commencing from the date of allotment or holding of units, as the case may be, in the plan;"

(ii) after paragraph 8, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"9. Open Ended Equity Linked Saving Plan.—The Unit Trust or the Mutual Fund may at their discretion operate one Open Ended Equity Linked Saving Plan with the prior approval of the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)."

[Notification No. 259/2005/F. No. 142/39/2005-TPL]

PRAGYA S. SAKSENA, Director

Note : The principal Scheme was published vide S.O. 1563(E), dated the 3rd November, 2005.